259

संख्या : 892 / XLI-1 / 2014–38 / 2014

प्रेषक,

एस. एस. टोलिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिष्ठाता,
प्रोद्योगिकी महाविद्यालय,
पन्तनगर (ऊधमसिंह नगर)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 10 सितम्बर, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में "पन्त कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान" योजनान्तर्गत 'आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष' में प्राविधानित धनराशि को व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318 / XXVII-I / 2014 दिनांक 18.3.2014, आपके पत्र संख्या : सी.टी.ई. / आयोजनेत्तर / 14–15 / 208 दिनांक 02.5.2014 एवं पत्र संख्या : सी.टी.ई. / आयोजनागत / 14–15 / 207 दिनांक 02.6.2014 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में 'आयोजनागत पक्ष' में व्यवस्थित धनराशि में से ₹ 36.02लाख एवं 'आयोजनेत्तर पक्ष' में व्यस्थित धनराशि में से ₹ 30लाख, कुल **₹ 66.02लाख (₹ छियासठ लाख दो हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न सूची में अंकित मदों पर नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.3.2014 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त शासनादेश दिनांक 18.3.2014 के प्रस्तर–4 के प्राविधानानुसार अवचनबद्ध मदों की आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जाएगा।
3. भविष्य में 'आयोजनेत्तर' पक्ष की धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित करते हुए मदवार वांछित धनराशि की सूची / विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
4. उपरोक्तानुसार 'आयोजनेत्तर' पक्ष के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि से ₹ 05लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्य सम्पादित नहीं कराए जाएंगे।
5. उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः आहरित करके महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के पी.एल.ए. में रखी जाएगी तथा आवश्यकतानुसार प्रतिमाह आहरित की जाएगी।
6. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी अधिष्ठान / परिसर के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रहीं है।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

... नियमानुसार निर्धारित मानकों के

10. कम्प्यूटर आदि क्रय के पूर्व एन.आई.सी./आई.टी. विभाग की नियमानुसार संस्तुति प्राप्त कर ली जायेगी।
11. उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2015 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
13. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. उक्त अनुदान का देयक कॉलेज के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित तथा जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या–11' के 'आयोजनागत' एवं 'आयोजनेत्तर' पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक संख्या "2203–तकनीकी शिक्षा–00–112–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान–00–03–पन्त कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. H1409110332 एवं H1409110333 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 140(पी.)/XXVII(4)/2014 दिनांक 09सितम्बर, 2014 के द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(एस. एस. टोलिया)
उप सचिव।

संख्या : 972 (1)/XLI(1)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. वित्त नियंत्रक, पन्तनगर विश्वविद्यालय।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस. एस. टोलिया)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या : /XLI-1/2014-38/2014 दिनांक : सितम्बर, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. स.	व्यय की मदों का विवरण	आयोजनागत मद में अवमुक्त धनराशि	आयोजनेत्तर मद में अवमुक्त धनराशि
1	कम्प्यूटर क्रय	12.00	-
2	शिक्षण कक्षों हेतु चेअर्स का क्रय	09.80	-
3	जनपत अभियंत्रण विभाग के शौचालयों की मरम्मत	04.43	-
4	इन्डस्ट्रियल एवं उत्पादन अभियंत्रण विभाग के शौचालयों की मरम्मत	05.00	-
5	एफ.टी.एम. लैब की फर्निशिंग हेतु	04.79	-
6	आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम त्रैमासिक किश्त	-	30.00
	योग	36.02	30.00

(₹ छियासठ लाख दो हजार मात्र)

(एस. एस. टोलिया)
उप सचिव।